



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या : 1363 कार्य/चौदह-पाकालि/2009-115-के/2009

दिनांक: नवम्बर 18, 2009

प्रबन्ध निदेशक,
विद्युत वितरण निगम लि०,
पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल,/केरको,
वाराणसी/मेरठ/आगरा/लखनऊ/कानपुर, ट्रांसको-लखनऊ।

समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता (वितरण),
समस्त अधीक्षण अभियन्ता (वितरण),

विषय :- विद्युत भण्डार गृहों पर उपलब्ध सामग्री के वितरण एवं सम्बन्धित अभिलेखों के सम्बन्ध में

महोदय,

अवगत कराना है कि दिनांक 10.7.2009 को 66 के०वी० विद्युत गृह स्थित विद्युत भण्डार गृह सुजड़, मुजफ्फरनगर का आकस्मिक निरीक्षण जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर द्वारा किया गया, इस निरीक्षण के दौरान विद्युत भण्डार गृह की कार्य प्रणाली में जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को अनेक कनियाँ एवं अनियमितताएँ दृष्टिगोचर हुई।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विद्युत भण्डार गृहों पर निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जाए :-

- 1) विद्युत भण्डार गृहों पर उपभोक्ताओं की समस्याओं के निस्तारण हेतु कार्यालय अवधि में कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद रहना चाहिए।
- 2) विद्युत भण्डार गृहों पर सामग्री की उपलब्धता एवं प्राथमिकता सूची इत्यादि अभिलेख की उपलब्धता रहनी चाहिए तथा महत्वपूर्ण सूचनाएं जन साधारण के अवलोकनार्थ नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध होनी चाहिए।
- 3) ट्रांसफार्मर एवं विद्युत सामग्री के आगमन/निर्गमन एवं सामग्री वितरण में "प्रथम आवत एवं प्रथम पावत" सिद्धान्त का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तथा सम्बन्धित अभिलेखों में पारिदर्शिता होनी चाहिए।
- 4) किसी भी विभागीय निरीक्षण के दौरान समस्त अभिलेख जाँच हेतु उपलब्ध कराये जाँच, जिससे बिन्दु 3 पर कार्यवाही पारदर्शिता एवं प्रथम आवत प्रथम पावत के सिद्धान्त के अनुपालन की स्थिति निरीक्षित हो सके।
- 5) सामान्य योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 में लम्बित निजी नलकूपों के उपभोक्ताओं को भी "प्रथम आवत/प्रथम पावत" सिद्धान्त के अनुसार सामग्री का वितरण किया जाए।

भवदीय,

(भारत भूषण गोयल)
उपसचिव (कार्य)

संख्या : 1363-कार्य/चौदह-पाकालि/2009 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त निदेशकनग, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक (पारेषण) उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, विस्तार, लखनऊ।
3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक से सम्बद्ध मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. अपर प्रबन्ध निदेशक से सम्बद्ध निजी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. अपर सचिव-I/II/III/अराजपत्रित, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. समस्त संयुक्त (सचिव) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, विस्तार, लखनऊ।
7. जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को उनके पत्रांक-557/ओ०एस०डी० दिनांक 15.7.2009 के सन्दर्भ में।

(भारत भूषण गोयल)
उपसचिव (कार्य)